न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, त्वरित प्रथम, अम्बेडकरनगर।

सिविल अपील संख्या–95/ 2008

लालचंद्र आदि बनाम भीखा।

दिनांक 23.02.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष द्वारा प्रा०पत्र 65 क के निस्तारण पर बल दिया गया। उभयपक्षों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

निस्तारण प्रा०पत्र 65 क–

उक्त संशोधन प्रा०पत्र कागज सं०–65 क मय शपथपत्र अपीलार्थी की ओर से इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी सं०–1/7 श्रीमती बहौना का प्रतिस्थापन प्रा०पत्र उपरोक्त अपील में प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा विगत तारीख पेशी पर यह अवगत कराया गया कि श्रीमती बहौना की एक पुत्री प्रमिला भी है। अतः प्रतिस्थापन प्रा०पत्र में तद्नुसार संशोधन अनुमति प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रत्यर्थीपक्ष द्वारा मौखिक रूप से विरोध करते हुए कहा गया है कि मात्र विलम्ब करने के आशय से प्रमिला को प्रतिस्थापन प्रा०पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। हर्जा लगाये जाने की प्रार्थना की गई है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

मृतक प्रत्यर्थी सं०–1/7 श्रीमती बहौना की पुत्री प्रमिला के सम्बंध प्रतिस्थापन प्रा०पत्र में संशोधन याचित किया गया है। न्यायहित में प्रा०पत्र स्वीकार होने योग्य है। परंतु अपीलार्थी को हुई असुविधा तथा कारित विलम्ब को दृष्टिगत रखने हुए हर्जा अधिरोपित करना न्यायसंगत होगा।

आदेश

संशोधन प्रा०पत्र का०सं० 65 क मु० 100/–रू० हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वांछित संशोधन अंदर सप्ताह हो। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रा०पत्र 61 क व 63 ग दिनांक 23.03.2022 को पेश हो।

दिनांकः 23.02.202

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर जिला न्यायाधीश,
त्वरित प्रथम, अम्बेडकर नगर।
जे०ओ० कोड–(UP01561)

Digitally signed by Abhishek Kumar Srivastav
Date: 2022.02.23 16:08:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court